

प्रेषक,

आनन्द कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव / मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेबल नोडल एजेंसी,
उ०प्र० शासन।

सेवा में

✓ समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष डब्लू०सी०डी०सी०,
(जनपद—गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर
एवं काशीरामनगर को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1 लखनऊ

दिनांक ०३ अक्टूबर, 2012

(समादेश बन्धु)

विषय— समान मार्गदर्शी सिद्धांत 2008 (संशोधित 2011) में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप समेकित वाटरशेड प्रबन्धन कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की डी०पी०आर० तैयार किये जाने हेतु दिशा निर्देश।

महोदय,

कृषि उत्पादन आयुक्त/अध्यक्ष स्टेट लेबल नोडल एजेंसी, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 27 अगस्त 2012 को आयोजित 13वीं बैठक में आई०डब्लू०एम०पी० परियोजनाओं के डी०पी०आर० तैयार करने, इसके विभिन्न पहलुओं के परीक्षण करने, मॉडेलिंग (Modalities) वर्क आउट करने एवं उनके प्रक्रिया निर्धारण हेतु एस०एल०एन०ए० स्तर पर उप समिति गठित किये जाने का निर्णय लिया गया था।

2— भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप सं०-६५५ / ५४-१-१२/१(समादेश) / २००९ टी०सी० दिनांक ०६ सितम्बर, २०१२ के द्वारा उप समिति का गठन किया गया। उप समिति द्वारा आई०डब्लू०एम०पी० परियोजनाओं के डी०पी०आर० तैयार करने के संबंध में प्राप्त संस्तुतियों के उपरान्त मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि डी०पी०आर० की एकिटविटीज चिह्नित करने, चिह्नित एकिटविटीज को समयबद्ध रूप से सम्पादित करने के लिए कार्यदायी संस्थाओं/वाहय संस्थाओं की समय-सीमा का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :—

S.N.	Activity	Name of Agency		Time Limit
		PIA	NGO/ Outside	
1	2	3	4	5 2 Months
1	Selection and Placement of WDT Members	PIA	Service Provider	
2	Group meetings in all connected village of the Gram Sabha for formulation of WC	PIA in consultation with Gram Sabha		
3	Identification of EPA Activities	PIA in consultation with Gram Sabha		2-3 Months
4	Collection of Secondary Data	PIA		
5	procurement/ Collection of revenue Map	PIA		
6	Collection of Khasra list	PIA		upto 3 months
7	Inter Departmental co-ordination	PIA		
8	Convergence Meeting	PIA		
9	Institutional Department	PIA		3-6 Months
10	Various user Agreement	PIA		

S.N.	Activity	Name of Agency		Time Limit
		PIA	NGO/ Outside	
1	2	3	4	5
11	PRA Exercise	PIA		4-8 Months
12	Baseline/ HH Survey	PIA		
13	GPS Survey/ Topographical Survey	PIA		
14	Digitalization of Map	PIA ¹	Outside	upto 9 months
15	Preparation of various Maps	SLDC	Outside	
16	Net Planning	PIA in consultation with Gram Sabha		4-8 Months
17	Scientific Planning	PIA		
18	Hydrological survey	PIA		
19	Rectification of satellite Data with ground realities	PIA	Outside	
20	Treatment plan map	PIA		upto 9 months
21	Preparation of various Annual Action Plan	PIA		
22	Compilation/ Tabulation	PIA	Outside	
23	Estimate and design	PIA		
24	Data analysis and Development strategic plan	PIA	Outside	
25	WC/ GP wise Project file	PIA		9-11 months
26	DPR Writing, Printing and documentation	PIA	Outside	
27	Gram Sabha Approval	PIA		
28	Submission of Plan for WCDC approval	PIA		12 months
29	Submission of DPR to SLNA	PIA		

3— भारत सरकार द्वारा परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजना लागत में डी०पी०आर० की मात्राकृत धनराशि की अधिकतम 60 प्रतिशत धनराशि पी०आई०ए० द्वारा तथा अधिकतम 40 प्रतिशत की धनराशि वाह्य एजेंसी द्वारा व्यय की जा सकती है। वाह्य एजेंसी के चयन के संबंध में आदेश अलग से निर्गत किये जा रहे हैं। उपरोक्त तालिका में पी०आई०ए० द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियों से संबंधित आवश्यक रूप पत्र भी अलग से उपलब्ध करायें जायेंगे।

कृपया उपरोक्त आदेशों का परिपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करे।

भवदीय,



(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेबल नोडल एजेंसी।

संख्या— (1)/54-1-12/1(समादेश)/2009 टी०सी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- आयुक्त एवं प्रशासक, शारदा सहायक समादेश, लखनऊ।
- अध्यक्ष एवं प्रशासक, रामगंगा कमाण्ड परियोजना, कानपुर।
- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- समस्त उप निदेशक/भूमि संरक्षण अधिकारी, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश।
- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- गार्ड फाइल।



(आनन्द कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
स्टेट लेबल नोडल एजेंसी।